फर्द अहकाम

रामेश्वर बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्या: 277/2024

क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.2024	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी हल्का नेवटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि रामेश्वर पुत्र नानू उर्फ नानीया, जाति जाट, पता ग्राम नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, भू.अभि.नि. क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगिनेर जयपुर का हूँ मेरी राजस्व रिकार्ड की जमावंदी खाता संख्या 184 व पुराना 171 स्थित ग्राम नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, भू.अभि.नि. क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगनेर जयपुर भू राजस्व रिकार्ड के नक्शे में खसरा न. 2120 के नक्शे की दक्षिण दिशा वाली लाईन पूर्व में सीधी थी जो वर्तमान के ट्रेस के नक्शे में गलत हो गई है। पूर्व के भू नक्शे में किसी प्रकार की कोई गलती नही है तकासमें में किसी प्रकार की कोई गलती नही है। मैं उक्त अपने खसरा न. 2120 के भू नक्शे में पूर्व के नक्शो व तकासमा के हिसाब से उक्त लाईन को सीधी व सही करवाना चाहता हूँ। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है में अपने उक्त ट्रेस नक्शे में लाईन सीधी करवाने बाबत पेश कर रहा। बहस प्रार्थी, प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का नेवटा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 2120 की दक्षिणी सीमा की तरमीम मुताबिक बटवारा आदेश दिनांक 10.04.2013 के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:15:31 IST
Reason: SelfAttested